उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0
(उ0प्र0 सरकार का उपक्रम)
14 – अशोक मार्ग, शक्ति भवन, लखनऊ – 226001
U.P. RAJYA VIDYUT UTPADAN NIGAM LTD
(U.P. Govt. Undertaking)
14- ASHOK MARG, SHAKTI BHAWAN, LUCKNOW-226001
CIN: U40101UP1980SGC005065
UPRVUNL

संख्या 28/उनिलि/रिफॉर्म/विनियमः179–179.9/2019 दिनांक07/फरवरी/2019

कार्यालय ज्ञाप

उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0 के निदेशक मण्डल की दिनाँक 07 जनवरी 2019 को संपन्न 179वीं बैठक में एजेण्डा संख्या–179.9 पर लिये गये निर्णय के अनुपालन में एतद्द्वारा उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0 में यथाप्रभावी "उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद परिचालकीय कर्मचारी वर्ग सेवा विनियमावली–1995"(यथा संशोधित) के अन्तर्गत परिचालकीय संवर्ग के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की श्रेणी पी–4 (टी0जी0–।।) के पद पर प्रोन्नति के सम्बन्ध में लागू भाग–6 (प्रोन्नति द्वारा भर्ती) के विनियम–14 के प्राविधानों को निम्नानुसार संशोधित/प्रतिस्थापित किया जाता है:–

(अ) (i) कार्मिक हाईस्कूल (विज्ञान एवं गणित विषय के साथ) अथवा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण हो;
(ii) तथा विद्युत/फिटर/इलेक्ट्रॉनिक्स/इन्स्ट्रूमेन्ट ट्रेड में अखिल भारतीय राज्य व्यवसायिक (आई0टी0आई0) प्रमाण पत्र धारी हो अथवा निगमादेश सं0: 120/उनिलि/रिफार्म/विनियमः176–176.19/2018 दिनांक जून 23, 2018 (समय–समय पर यथा संशोधित) के अनुसार वर्णित विधाओं में डिप्लोमाधारी/डिग्रीधारी हो;
(iii) तथा श्रेणी पी–1, पी–2 व पी–3 स्तरों पर सम्मिलित रूप से अथवा किसी एक, दो अथवा तीनों स्तरों पर न्यूनतम 03 वर्ष की अर्हकारी सेवा पूर्ण कर ली हो

अथवा

(ब) (i) कार्मिक हाईस्कूल अथवा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण हो;
(ii) तथा श्रेणी पी–1, पी–2 व पी–3 स्तरों पर सम्मिलित रूप से अथवा किसी एक, दो अथवा तीनों स्तरों पर न्यूनतम 11 वर्ष की अर्हकारी सेवा पूर्ण कर ली हो।
(iii) तथा बिन्दु संख्या–ब(i) व (ii) के अनुसार अर्हता प्राप्त कार्मिकों को निर्धारित 02 माह का प्रशिक्षण सन्तोषजनक रीति से पूर्ण कर प्रशिक्षण उपरान्त आयोजित परीक्षा उत्तीर्ण करना आवश्यक होगा। परीक्षा को उत्तीर्ण करने हेतु मात्र दो अवसर प्रदान किये जायेंगे।

नोटः– प्रोन्नति हेतु निर्धारित कोटे के अन्तर्गत टी0जी0–।। के रिक्त पदों के सापेक्ष अगर अर्ह कार्मिकों की संख्या अधिक होती है तो आई0टी0आई0/डिप्लोमा/डिग्री प्राप्त कार्मिकों को प्रोन्नति में वरीयता प्रदान की जायेगी।

2– उपरोक्त संशोधन/प्रतिस्थापन के फलस्वरूप कार्यालय ज्ञाप संख्याः 38–उनिलि/रिफॉर्म/विनियम/2013 दिनांक 31.05.2013 स्वतः अप्रयोज्य हो जायेगा तथा संगत विनियमावली उक्त सीमा तक संशोधित मानी जायेगी एवं उसके अन्य प्राविधान यथावत् रहेंगे।

निदेशक मण्डल की आज्ञा से

पत्रांकः28 /उनिलि/रिफॉर्म/विनियमः179–179.9/2019 तद्दिनाँक ।

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. अध्यक्ष, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
2. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
3. निदेशक (का0प्र0 एवं प्रशा0/परियोजना एवं वाणिज्य/तकनीकी/वित्त), उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ, के निजी सचिव/स्टाफ ऑफिसर।
4. मुख्य अभियन्ता एवं परियोजना समन्वयक, अनपरा/ओबरा/पारीछा/पनकी/हरदुआगंज ताप विद्युत गृह, सोनभद्र, सोनभद्र, झाँसी, कानपुर, अलीगढ़।
5. मुख्य अभियन्ता, पीपीएमएम/वाणिज्य/ईंधन/तापीय परिचालन/आर0एण्ड0एम0/जानपद नव–परियोजना/पर्यावरण एवं सुरक्षा/न्यू कोल ब्लॉक, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि., शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
6. अध्यक्ष, विद्युत उत्पादन सेवा आयोग, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
7. मुख्य महाप्रबन्धक (वित्त), उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
8. महाप्रबन्धक (लेखा), उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
9. कंपनी सचिव, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, शक्ति भवन, लखनऊ को निदेशक मण्डल की दिनांक 07.01.2019 को सम्पन्न 179वीं बैठक में प्रस्तुत एजेण्डा आइटम संख्या–179.9 के संदर्भ में।
10. उपमहाप्रबन्धक/अधीक्षण अभियन्ता (मा0सं0 1/2/3/4/5)/प्रशिक्षण इकाई/संसदीय कार्य इकाई, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
11. अधीक्षण अभियन्ता (रिफॉर्म), उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
12. मुख्य परियोजना प्रबन्धक (प्रगति) टी0 सी0–46/वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ को निगम की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
13. कट फाइल।

07/01/19

(मो0 तसनीम)
मुख्य अभियन्ता (मा0सं0)